न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139) 0116 ऐ0 77/2017

आदेश पत्रक–ता0..................................से...,सन्.................................

जिला–खगड़िया.....................................,सा0...

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
07.08.2017	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत खगड़िया थाना में दर्ज कांड संख्या–183/2017 दिनांक 18.03.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3742/सी0आर0 दिनांक 27.07.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई विदेशी शराब की कुल मात्रा 180 एम0एल0 का 96 (छियानवे) बोतल विदेशी शराब में से 12(बारह) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जॉच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष 84(चौरासी) बोतल विदेशी शराब खगड़िया थाने के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया थाने के मालखाना में रखी गई 84(चौरासी) बोतल विदेशी शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगड़िया थाना कांड संख्या 183/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल 84(चौरासी) बोतल (15.12 ली0) विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए ततसंबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 231 /विधि, दिनांक 9/8/2017 प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया /थानाध्यक्ष, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के बेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 9/8/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा खगड़िया। 9/8/17	